229

R-259/I/17

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. भूपत यादव तनय श्री हल्के यादव
2. नन्हेलाल तनय श्री सुन्नी पटैल
   दोनों निवासी ग्राम बैनीगंज तह. राजनगर जिला छतरपुर (म०प्र०)
3. मुन्नीलाल तनय फिरूवा उर्फ नथुवा चमार निवासी ग्राम उदयपुरा, तह. राजनगर जिला छतरपुर (म०प्र०)

.....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

श्री डी. के. पासी (एड.)
द्वारा आज दि. 19-01-17 को
प्रस्तुत
19/1/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 95/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 31–05–2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क्र.1 व 2 द्वारा आवेदक क्र.3 से ग्राम बैनीगंज स्थित खसरा नंबर 905/6 रकवा 1.012 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.12.11 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने विक्रेता को भूमि विक्रय की अधिकारित न होने का आधार लेते हुए प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासन के नाम दर्ज करने का विधि–विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिसकी उन्हें अधिकारित ही नहीं थी इस कारण स्वमेव निगरानी के तहत पारित आदेश दिनांक 15.04.13 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने विक्रयपत्र निष्पादन के पूर्व विक्रित भूमि की अनुमति कलेक्टर से प्राप्त न होने का आधार लेते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी लिस, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244803

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R-259/I/17... जिला .... छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-17	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 95/अपील/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 31—05—2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदकगण की ओर से तर्क में बताया है कि, आवेदक क्र. 1 व 2 द्वारा, आवेदक क्र.3 से ग्राम बैनीगंज स्थित खसरा नंबर 905/6 रकवा 1.012 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.12.11 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज की गई जिसकी उन्हें अधिकारिता नहीं थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना क्रय किए जाने के आधार पर निरस्त की गई है इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक क्र.3 मुन्नीलाल को संवत 2026 में भूमि शासन द्वारा प्रदान की गई थी खसरा पांचसाला में उसका नाम दर्ज चला आ रहा है। जिसका विक्रय लगभग 30 वर्ष पश्चात दिनांक 20.12.2011 को किया गया है। इस कारण उसे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरांत उक्त भूमि का विक्रय किए जाने पूर्व कलेक्टर की अनुज्ञा आवश्यक नहीं थी इसी प्रकार आवेदकगणों द्वारा सद्भाविक रूप रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर भूमि क्रय कर मालकाना हक प्राप्त किया था। इस कारण विचारण न्यायालय को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण करना चाहिए था इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत "रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा	

[क्र. प. उ.

R. 259. I/17 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	165(7–ख)– सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित–भूमि का विक्रय कर सकता है– कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य वर्ष 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है, के आधार पर निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागी अधिकारी एवं तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 3– मैंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विचारण न्यायालय तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा स्वप्रेरणा की कार्यवाही करते हुए हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है जिसकी अधिकारित उन्हें प्राप्त नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा भी विक्रेता शासकीय पट्टेदार द्वारा विक्रय की अनुमति न लिए जाने के आधार पर अपील खारिज की है जबकि विक्रेता को संवत 2026 में भूमि पट्टे पर प्रदान की जाना एवं खसरा पांचसाला में उसका नाम दर्ज होना पाया जाता है इस कारण भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरांत भूमि का विक्रय वर्ष 2011 में किया गया है इस कारण उसके आधार पर नामांतरण किए जाने में कोई वैद्यानिक अड़चन नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर एवं तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.14 एवं तहसील प्रभारी मंडल चन्द्रनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.13 निरस्त किए जाते है। तथा निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 20.12.11 के अनुसार क्रेतागण के नाम नामांतरण स्वीकृत करते हुए राजस्व अभीलेख/कम्प्यूटर अभिलेख दर्ज करने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	